25.7.24 पत्रावली पेश हुई

पक्षकारान वकील उप।

पत्रावली वास्ते प्रार्थना-पत्र बहस हेतु अग्रिम

21.8.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

21.8.24 पत्रावली पेश हुई

पक्षकारान वकील उप।

पत्रावली वास्ते प्रार्थना-पत्र बहस हेतु अग्रिम

4.9.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

04.09.2024 पत्रावली पेश हुई।

वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के वकील उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1 से 2) अपनी ओर से बहस के तथ्यों में कथन किया कि वादीगण द्वारा श्रीमान के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तगर्त धारा 88, 183, 188, 207 व 209 राज. काश्तकारी अधिनियम मे तहत पेश कर वादीगण द्वारा 1/2 हिस्से में 3/8 हिस्से की सहदायिकी घोषित कर 3/8 हिस्सा सह–खातेदार विरधा के हिस्से की 1/2 भूमि वादीगण [illegible] षित करवाने एवं बैंधाननामा शुन्य एवं निशप्रभावी करवाने हेतु [illegible] उक्त प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 24.[illegible] मूलसिंह उर्फ मूला[illegible] मौजा बावडी खुर्द के खसरा नम्बर 10 रकबा 24.18 बीघा में अपने 1/2 हिस्से की भूमि लाला पुत्र सवा को पंजीबद्ध विकय पत्र जरिये बेचान करना वादपत्र के पद सं 5 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

79/2021

किया है एवं उक्त बेचान पश्चात लाला की खातेदारी दर्ज हुई किन्तु खातेदार मूलसिंह उर्फ मूला द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा को निरस्त करवाने का कोई वाद वादीगण ने पेश नहीं किया है। कि प्रार्थीगण विरधा के एकमात्र वारिश है और विरधा की भूमि पाने के अधिकारी हो इस बाबत प्रत्यर्थीगण ने विरधा की सम्पति एवं वारिश होने बाबत् कोई उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है जबकि विरधा की द्वितीय श्रेणी वारिशान उसकी तीन सगी बहिने आज भी जीवित है जो विरधा की प्रार्थीगण से पूर्व वारिस है। जो वादीगण को विरधा की भूमि पाने से अपवर्जित करते है। प्रार्थीगण ने विरधा की सभी बहिनो को पक्षकार बनाए बिना एवं मूला की पुत्रियो को वारिश बनाए बगैर वाद पेश किया है इस प्रकार सम्पूर्ण प्रभावी एवं हितबद्ध पक्षकारों को सयोजित किये बिना ही वाद पेश किया गया है जो खारिज होने योग्य है। चूंकि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मूला द्वारा अपने खातेदारी अधिकारो का उपयोग कर निष्पादित पंजीबद्ध बेचान दिनांक 24.08.1960 को निरस्त करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकारिता का होने से उक्त न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती धारा 136 का अनुतोष एवं कब्जा प्राप्ति अनुतोष चाहा है। जो एक ही न्यायालय में नहीं चल सकता क्योकि धारा 136 उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय क्षेत्र व धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर के न्यायालय का होने से एक ही न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रतिवादीगण की ओर से पेश आवेदन को स्वीकार कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता का होने से श्रीमान न्यायालय में विचारण के योग्य नहीं है इसलिए वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील वादी ने अपने जवाब के तथ्यों में कथन किया कि खातेदार मूलसिंह उर्फ मूला द्वारा मौजा बावड़ी खुर्द के खसरा संख्या 10 रकबा 24–18 बीघा में बेचानकर्ता [illegible] से अधिक रकबा 24–18 बीघा का विधिविरूद्ध रूप से किया गया बे[illegible] प्रा[illegible] से ही शून्य व निष्प्रभावी है तथा उक्त विधिविरूद्ध बेचान के आधार पर पा[illegible] क. से दर्ज खातेदारी अंकन को निरस्त कर वादीगण को [illegible] पैतृक हिस्से [illegible] खातेदारी घोषणा करवाने का विधिक अधिकार है, खातेदारी घोषणा की सुनवाई का अधिकार श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से ही हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सिणधरी

हिस्सा निहित हो गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को बेचान वादीगण के द्वारा अपने विधिक हिस्से से अधिक बैचान से दर्ज खातेदारी प्रविष्टि को निरस्त कर वादीगण अपने पैतृक हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाने का वाद पेश किया है, श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन एवं विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जहां तक वादीगण की ओर से वाद प्रस्तुत करते हुए वादीगण के पिता मूला द्वारा अपने विधिक हिस्से से अधिक बैचान से दर्ज खातेदारी प्रविष्टि को निरस्त कर वादीगण अपने पैतृक हिस्सा की खातेदारी घोषित करवाने का वाद पेश करते हुए वादग्रस्त भूमि पैतृक होने की इस्तदुआ है, जिसका खण्डन करते हुए प्रतिवादी वकील की दलील है कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट मुला विरधा पि. टिकमा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ। जहां तक वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता का देहान्त 1982–83 में होने तथा वादीगण के चाचा विरधा के निःसंतान होने तथा अपने भाई मूला के देहान्त के करीब दस वर्ष वाद उनका निधन होने से विरधा के एकमात्र वारिसान होने की इस्तदुआ है, इन तथ्यों में प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथनों व्यक्त किया कि खातेदार मूलसिंह उर्फ मूला द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा को निरस्त करवाने का कोई वाद वादीगण ने पेश नहीं किया है। कि प्रार्थीगण विरधा के एकमात्र वारिश हो और विरधा की भूमि पाने के अधिकारी हो इस बाबत प्रत्यर्थीगण ने विरधा की सम्पति एवं वारिश होने बाबत् कोई उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है जबकि विरधा की द्वितीय श्रेणी वारिशान उसकी तीन सगी बहिने आज भी जीवित है जो विरधा की प्रार्थीगण से पूर्व वारिस है। जो वादीगण को विरधा की भूमि पाने से अपवर्जित करते है। प्रार्थीगण ने विरधा की सभी बहिनो को पक्षकार बनाए बिना एवं मूला की पुत्रियो को वारिश बनाए बगैर वाद पेश किया है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि वादीगण के पिता मूला एवं मूला के भाई विरधा के नाम से खतौनी बंदोबस्त पर्चालगान संयुक्त रूप से जारी हुआ था। तत्पश्चात् वादीगण के पिता मूलसिंह उर्फ मूला द्वारा अपना समग्र हिस्से की भूमि का 1/2 हिस्सा में आने वाली भूमि में से खसरा नम्बर 10 का बैचान प्रतिवादीगण के पिता लाला को कर दिया, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध बैचान दस्तावेज से होती है। इस प्रकार यदि मूला द्वारा अपने हिस्से की भूमि के संबंध में

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

Signat
Digitally
Ashiya
Date: 20
Reason

बैचान को लेकर यदि विरधा जो कि निःसंतान के साथ साथ वादीगण के पिता की मृत्यु से करीब 10 वर्ष बाद फौत हुए (जैसा कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के पद सं. 6 में उल्लेख किया) तो तत्समय इस संबंध में किये गये बैचान को लेकर विरधा द्वारा अवष्य ही अपने जीवन काल में कोई उजर एतराज प्रस्तुत किया जाता जो कि नहीं किया गया है, साथ ही यदि विरधा के कुंवारा व लाऔलाद फौत होने पर भरे गये ना.क.स. को लेकर जहां तक प्रतिवादीगण की दलील है कि विरधा की बहिनें जो वर्तमान में जिवित है, द्वितीय श्रेणी की वारिस होने से उनका दायित्व बनता कि इस संबंध को कोई उजर एतराज प्रस्तुत करते हुए अपने हितों की रक्षा हेतु चाराजोही की जाती। जहां तक प्रतिवादी वकील की दलील है कि वादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त पैतृक नहीं होर मूला व विरधा के कब्जे–काश्त की भूमि है जो स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है, इस संबंध में जारी बन्दोबस्त खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता मूला एवं उसके भाई विरधा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ, इससे प्रथम दृष्टया यह तथ्य वादीगण प्रमाणित नहीं कर पाये कि वादग्रस्त भूमि उनकी पैतृक भूमि रही हो। जहां तक वादीगण विरधा के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने की इस्तदुआ है, जो भी प्रथम जमाबंदी के अवलोकन से साबित नहीं होती है तथा प्रतिवादी वकील ने अभिकथनों में जाहिर किया कि स्वर्गीय विरधा के बहिनें जो कि वर्तमान में जिवीत है, जो प्रथम श्रेणी की वारीसान है, यदि उन्हें कोई उजर एतराज होता तो वह अपनी इस्तदुआ अनुसार हक पाने के लिए बतौर उत्तराधिकारी दावा प्रस्तुत कर सकती थी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की सूची में वर्णित रक्त संबंधी रिश्तों के अन्तर्गत वादीगण जो कि निःशंतान फौत विरधा के भतीज होने से अपने आप को यह परिभाषित नहीं करवा सके कि वे अपने आप में स्वर्गीय विरधा के प्रथम श्रेणी के वारिस है। जहां तक बेचान का प्रश्न है, तो वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान जिन खातेदारों के नाम हुआ, उनके द्वारा अपने जीवनकाल में अपने नाम की दर्ज भूमि का पंजीबद्व बेचान दिनांक 24.08.1960 को कर दिया गया है एवं स्वयं मूला तथा विरधा द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त आराजी बेचान पर उजर आपति नहीं की गई जिससे यह स्थापित है कि वादग्रस्त आराजी का पंजीबद्व बैचान स्वयं मूल खातेदारान द्वारा अपने हक अधिकारों का पूर्ण सहमत होकर किया गया था। साथ ही वादीगण स्व. विरधा के पुत्र अथवा प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है इसलिए वादग्रस्त आराजी में वादीगण के पिता द्वारा विधिवत एवं वैध पंजीबद्व बैचान कर देने से तथा वादीगण द्वारा उक्त बैचान को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:13:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

वादीगण को वादग्रस्त आराजी में कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है, साथ ही वादग्रस्त भूमि विरधा के नाम से दर्ज होने से विरधा की भूमि संयुक्त रूप से वादीगण की पैतृक भूमि नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं विश्लेषण से वादीगण अपने वाद पत्र की मूल इस्तदुआ में प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं कर पाये कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि रही हो तथा मूला द्वारा अपने जीवनकाल मे किये गये बैचान को निरस्त करवाने हेतु उनके द्वारा कोई विधिक कार्यवाही तत्समय प्रस्तुत नहीं करने के क्या कारण रहे हो। साथ ही वादीगण द्वारा पंजीबद्ध बैचान के निष्पादन से करीब 65 वर्ष बाद उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि वादीगण पंजीबद्ध बैचान को अवधिबार होने से निरस्त करवाने मे असमर्थ होने से उक्त वाद के जरिये तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत किया है। जबकि उक्त वाद पंजीबद्ध दस्तावेज की निरस्तीकरण का होने से पूर्णरूप से सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

लिहाजा वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादपत्र में वर्णित तथ्यों एवं सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेज के तथ्यों के आधार पर वादग्रस्त आराजी में विरधा के हक–हिस्से व खातेदारी की भूमि को पैतृक भूमि स्थापित नहीं कर पाए एवं न ही वादीगण स्व. विरधा के प्रथम श्रेणी व नजदीकी द्वितीय श्रेणी के वारिश होना प्रकट कर पाए है। एवं वाद में वादीगण का मुख्य अनुतोष पूर्व खातेदारान द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध बेचाननामा दिनांक 24.08.1960 को निरस्त करवाना है जो पूर्ण रूप से सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से राजस्व न्यायालय में वादीगण का वाद चलने योग्य न होने तथा विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 सपठित 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashiya
Date: 2024.12.2
Reason: SelfAtt